बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन (मत्स्य) विभाग
टॉल फ्री नं0– 1800–3456185

अनुसूचित जाति/ जनजाति के व्यक्तियों के लिए नर्सरी तालाब निर्माण तथा ट्यूबवेल एवं पम्प सेट अधिष्ठापन की योजना।

राज्य सरकार के द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति/ जनजातियों के व्यक्तियों को मत्स्य पालन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए विशेष घटक के तहत नर्सरी तालाब निर्माण तथा ट्यूबवेल एवं पम्पसेट अधिष्ठापन पर 90 प्रतिशत सब्सिडी की योजना प्रारम्भ की गई है। अनुसूचित जाति/ जनजातियों के व्यक्तियों के लिए 90 प्रतिशत अनुदान पर 362 एकड़ जलक्षेत्र में नर्सरी तालाब का निर्माण तथा 724 अदद् ट्यूबवेल एवं 724 अदद् पम्प सेट (5 एच0पी0) अधिष्ठापन किया जायेगा।

2. इस योजना के निम्न प्रकल्प हैं:–

(क) अनुसूचित जाति / जनजातियों के मत्स्य पालकों के लिए नर्सरी तालाब निर्माण की योजना

1. नर्सरी तालाब का निर्माण लाभूक द्वारा स्वयं किया जायेगा।
2. तालाब का निर्माण ट्रैक्टर अथवा मशीन द्वारा किया जाएगा।
3. 50 डिसमिल जलक्षेत्र के तालाब निर्माण में 1.51 लाख रूपये का अनुमानित खर्च आयेगा।
4. अधिकतम 50 डिसिमल जलक्षेत्र का नर्सरी तालाब का निर्माण किये जाने पर अनुदान देय होगा।
5. तालाब की गहराई जमीन तल से औसतन 5 फीट एवं ढ़ाल 1:1.5 होगी। खुदाई से प्राप्त मिट्टी की अधिकांश मात्रा तालाब के बाँध के निर्माण हेतु उपयोग किया जायेगा।
6. अनुदान राशि दो किश्तों में देय होगी। प्रथम किश्त के रूप में 40 प्रतिशत तथा द्वितीय किश्त में 60 प्रतिशत राशि देय होगी।
7. प्रथम किश्त की राशि देने के पूर्व लाभूक से नर्सरी तालाब निर्माण का शपथ पत्र प्राप्त किया जायेगा। शपथ पत्र में यह उल्लेख होगा कि किसी अन्य योजना से पूर्व में तालाब निर्माण कार्य नहीं किया गया है। साथ ही साथ, लाभूक द्वारा तालाब निर्माण नहीं करने पर उनके विरूद्ध सूद सहित राशि वसूली हेतु नीलामवाद दायर किया जायेगा। लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लाभूकों का चयन परिक्षेत्र स्तरीय गठित सुरक्षित जमा निर्धारण समिति द्वारा कम आय वाले लाभूकों को प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।
8. राज्य में नर्सरी तालाब की संख्या कम है। इस योजना की राशि से अनुसूचित जाति के मत्स्य कृषकों के 288.5 एकड़ जलक्षेत्र में नया नर्सरी तालाब का निर्माण तथा अनुसूचित जनजाति के मत्स्य कृषकों के लिए 73.5 एकड़ नर्सरी तालाब का निर्माण किया जा सकेगा।
9. इस योजना के कार्यान्वयन से शुद्ध फ्राई/ फिंगरलिंग मत्स्य बीज की उपलब्धता सुनिश्चित होगी तथा मत्स्य उत्पादन में भी बढोतरी होगी।

(ख) अनुसूचित जाति/जनजातियों के मत्स्य पालकों के तालाबों पर ट्यूबवेल पम्प सेट तथा पम्प सेट अधिष्ठापन की योजना :–

योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजातियों के मत्स्य पालकों के तालाबों में सालों भर जल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु नव निर्मित तालाबों के बांध पर ट्यूबवेल तथा पम्प सेट (5 एच0पी0) का अधिष्ठापन किया जायेगा।

1. इस योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के मत्स्य पालकों के तालाबों पर क्रमशः 577 ट्यूबवेल एवं पम्प सेट तथा 147 ट्यूबवेल तथा पम्प सेट का अधिष्ठापन किया जायेगा।
2. प्रति ट्यूबवेल तथा पम्प सेट का लागत इकाई क्रमशः 50 हजार एवं 25 हजार रू0 होगा। जिस पर 90 प्रतिशत अनुदान देय होगा। शेष 10 प्रतिशत राशि लाभूक अंशदान के रूप में स्वंय अथवा बैंक ऋण द्वारा किया जायेगा।
3. इस योजनान्तर्गत ट्यूबवेल/ पम्प सेट अधिष्ठापन हेतु न्युनतम 0.4 एकड़ तालाब का रकबा होगा तथा पम्प सेट न्युनतम (5एच0पी0) क्षमता का होगा।
4. लाभूकों द्वारा जाति एवं आय प्रमाण पत्र के साथ आवेदन संबंधित जिला मत्स्य कार्यालय में समर्पित किया जायेगा। अनुसूचित जाति/ जनजाति के व्यक्तियों को ही इस योजनान्तर्गत चयन किया जाएगा। लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर बी0पी0एल0 के अंको के आधार पर निर्धनतम व्यक्ति को प्राथमिकता देकर चयन परिक्षेत्र स्तरीय गठित समिति द्वारा किया जायेगा। लाभुकों का चयन सुरक्षित जमा निर्धारण समिति के द्वारा किया जाएगा। आवेदन के साथ जाति प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. लाभूक को इस आशय–का शपथ पत्र संलग्न करना होगा कि पूर्व में किसी अन्य सरकारी योजना के तहत ट्यूबवेल एवं पम्पसेट की सुविधा नहीं ली गई है।

आवेदन का प्रपत्र

पासपोर्ट साईज का स्वअभिप्रमाणित फोटो

1. आवेदक का नाम : ....

2. पिता का नाम : ....

3. स्थायी पता

ग्राम : ....

पोस्ट : ....

प्रखंडः ....

पिन : ....

जिला : ....

4. दूरभाष संख्या /मो0नं0: ....

5. जमीन का खाता, खेसरा तथा रकबा (एकड़ में)

(भूमि स्वामित्व प्रमाण–पत्र संलग्न करें)

6. जमीन का रकबा (एकड़ में) : ....

7. जमीन के लोकेशन का पूर्ण विवरण : ....

8. जाति प्रमाण–पत्र की प्रति : ....

9. योजना नाम : **अनुसूचित जाति/ जनजाति के व्यक्तियों के लिए नर्सरी तालाब निर्माण तथा ट्यूबवेल एवं पम्प सेट अधिष्ठापन की योजना।**

10. संलग्न कागजात का विवरण : ....

11. आवेदक का फोटो, स्वअभिप्रमाणित फोटो पहचान पत्र, ...

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा दी गई उपर्युक्त योजना के लिए निर्धारित शर्त्तों का अनुपालन किया जाएगा।

तिथि..............................

आवेदक का हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा दिया गया विवरण सही है तथा भौतिक सत्यापन के उपरान्त राज्य योजना हेतु आवेदक का चयन किया जा सकता है/ आवेदक चयन योग्य नहीं है।

मत्स्य प्रसार पदाधिकारी/ मत्स्य निरीक्षक/ मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर

आवेदक अपना आवेदन अपने जिले के जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को समर्पित करेंगे।

विशेष जानकारी के लिए अपने जिले के जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के कार्यालय अथवा निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना से संपर्क करें। विस्तृत जानकारी पशु एवं मत्स्य संसाधन(मत्स्य) विभाग के स्वीकृत्यादेश संख्या 4078 दिनांक 14.11.2014 से प्राप्त की जा सकती है जिसे विभागीय वेब साइट *http:\\ahd.bih.nic.in* पर देखा जा सकता है।

मत्स्य निदेशक, बिहार, पटना।